सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025 / 432 दर्ज तिथिः–16.06.2025

1. जेठाराम पुत्र भीखाराम
2. जूंझाराम पुत्र भीखाराम
3. किशनाराम पुत्र भीखाराम
4. पूनमी पत्नी भीखाराम
   जाति रबारी निवासी मोटीढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. खेताराम पुत्र हरींगाराम
3. बालाराम पुत्र खेमाराम
4. सुरेश कुमार पुत्र मंगलाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम
6. एलसी पत्नी मंगलाराम
   कौम विश्नोई निवासी मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी मूल खेत खसरा संख्या 1062 रकबा 108–06 बीघा मौजा गुड़ामालानी की आई हुई है। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा संख्या 1474/1062/12.3105 है0 है।
- कि प्रार्थीगण के पिता भीखा वल्द मोटा द्वारा दिनांक 22.09.1974 को जरिये पंजीबद्ध बयनामा द्वारा विप्रार्थी भारूराराम, खेताराम पिसरान हरींगाराम जाति विश्नोई को 32–00 बीघा जमीन का बेचान किया। जिसके नामान्तरकरण संख्या 587 द्वारा खसरा संख्या 1062/1 दर्ज किया गया। उक्त बेचान आराजी के वर्तमान खसरा संख्या 1475/1062/5.1314 है0 है।
- कि जमाबंदी में प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी आराजी का रकबा सही दर्ज किया परंतु राजस्व नक्शे में प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबा के अनुसार तरमीम अंकित नहीं की गई। हाल राजस्व नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे से कम रकबे की तरमीम की हुई है। जबकि हाल राजस्व नक्शे में अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे से अधिक रकबे की तरमीम की हुई है। इस कारण मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
- अतः राजस्व नक्शे में प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबा के अनुसार तरमीम अंकित करते हुए तरमीम दुरूस्ती की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल के अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व नक्शे में प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबा के अनुसार तरमीम अंकित करते हुए तरमीम दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
   - कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1474/1062 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1475/1062 की पंजीकृत बेचाननामा से दोनो खसरो की रकबा बरारी में राजस्व नक्शा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1474/1062 की 0.4046 है0 भूमि कम है। जिससे मौका व राजस्व नक्शा में भिन्नता आई है।
   - कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1474/1062 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1475/1062 की पंजीकृत बेचाननामा से दोनो खसरो की रकबा बरारी में राजस्व नक्शा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1474/1062 की 0.4046 है0 भूमि कम एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1475/1062 में 0.4046 है0 भूमि वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के आराजी खसरा संख्या 1474/1062 एवं 1475/1062 की वास्तविक कब्जा–काश्त व जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

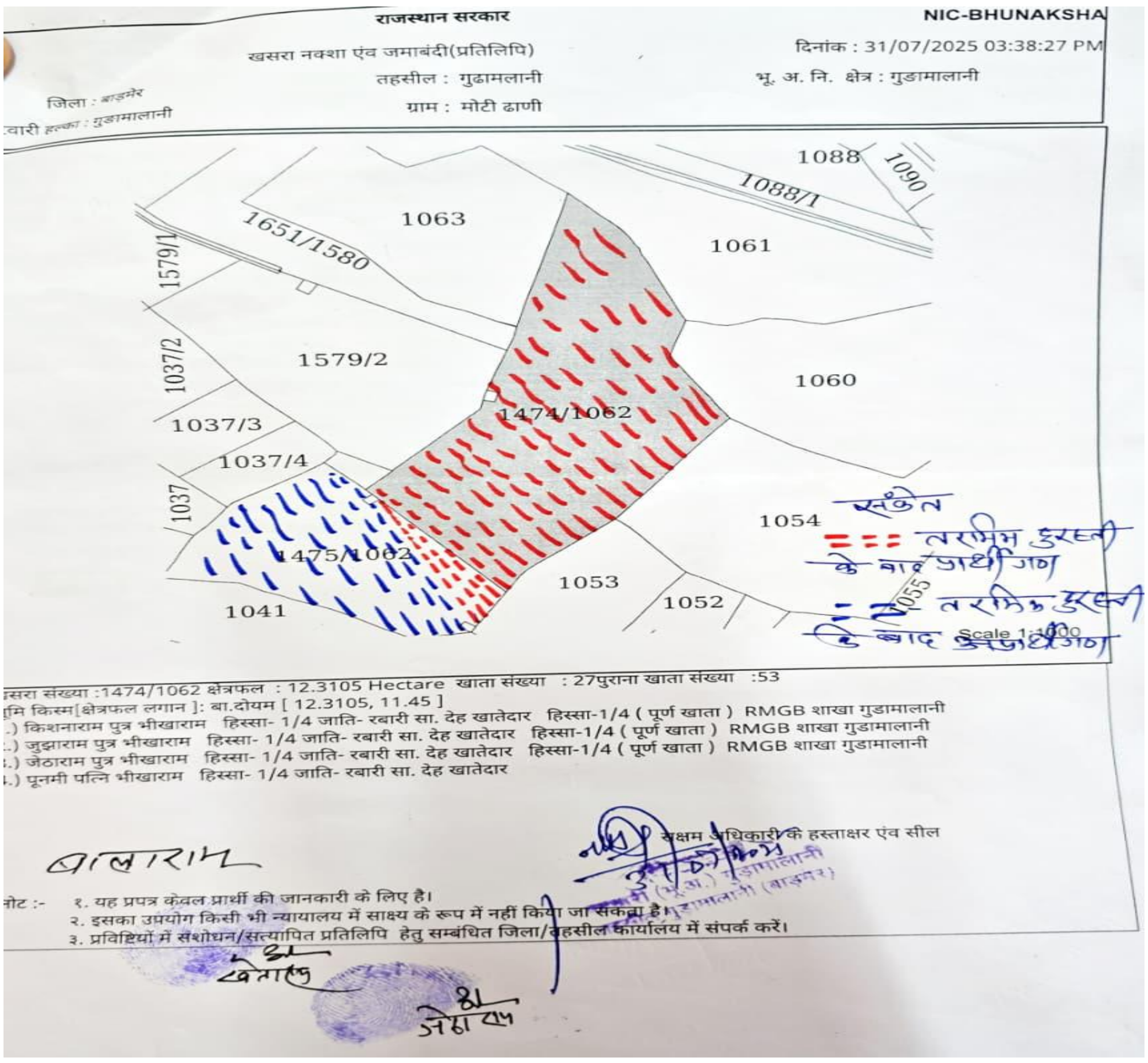
राजस्थान सरकार
NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
दिनांक : 31/07/2025 03:38:27 PM
तहसील : गुढामलानी
भू. अ. नि. क्षेत्र : गुडामालानी
जिला : बाड़मेर
पटवारी हल्का : गुडामालानी
ग्राम : मोटी ढाणी

खसरा संख्या :1474/1062 क्षेत्रफल : 12.3105 Hectare खाता संख्या : 27पुराना खाता संख्या :53
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [12.3105, 11.45]
1.) किशनाराम पुत्र भीखाराम हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा गुडामालानी
2.) जुझाराम पुत्र भीखाराम हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा गुडामालानी
3.) जेठाराम पुत्र भीखाराम हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा गुडामालानी
4.) पूनमी पत्नि भीखाराम हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम का अंकन किये जाने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी के राजस्व नक्शे में 0.4046 है0 की रकबा बरारी को दुरूस्त किया जाना है। इस प्रकार तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम का अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/544 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested